I/197575/2022

संख्या-39/2022/1781/001-2170154-2022

बजट पोर्टल संख्या: A058-20222023-001-2170154-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक अगस्त, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में गत वर्ष प्राप्त् केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-50/बजट/2022-23, दिनांक 20.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शासनादेश सं0-36/2022/1633/001-2161631-2022 दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में अवमुक्त धनराशि रू0-2520.00 लाख के सापेक्ष लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8909-''पर ड्राप मोर क्राप'' माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 4734.71 लाख के सापेक्ष अनिवार्य राज्यांश रू0-1680.00 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) की धनराशि रू0-2493.78 लाख इस प्रकार कुल राज्यांश की धनराशि रू0-4173.78 लाख (रू इक्तालिस करोड़ तिहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8909-''पर ड्राप मोर क्राप'' माइक्रोइरीगेशन योजना

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2.योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

3. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।

4. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7.जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8. निदेशक, उद्यान सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

9.विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

10.कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

11.व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12.धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401007898909 ("पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना	27 सब्सिडी	41,15,96,000 (रुपये इकतालीस करोड़ पंद्रह लाख छियानबे हजार मात्र)
2	083	2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना	42 अन्य व्यय	48,82,000 (रुपये अड़तालीस लाख बयासी हजार मात्र)
3	083	2401007898909 "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"- माइक्रो इरीगेशन योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
	कुल			**41,73,78,000**

				(रुपये इकतालीस करोड़ तिहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र)
महायोग				41,73,78,000 (रुपये इकतालीस करोड़ तिहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-129-X-2022-23-दिनांक:1-8-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-39/2022/1781(1)/001-2170154-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-19-7/2017-आर0एफ0एस0-III(एफ.टी.एस37951), दिनांक 20.06.2022 के संदर्भ में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षक)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कररण, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
(5) निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।